भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 14

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल-आधारित अधिगम

†14. श्री पी.सी. मोहन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश भर के शहरी क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल-आधारित अधिगम को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) एनईपी ने शहरी केंद्रों में छात्रों की डिजिटल तत्परता बढ़ाने के लिए क्या उपाय शुरू किए हैं; और

(ग) छात्रों के बीच अंतर्विषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को किस तरह से कौशल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसकी पूरी तरह से पुनर्कल्पना की परिकल्पना की गई है। इस नीति में चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षा संस्थाओं में कौशल शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने की सिफारिश की गई है। कौशल शिक्षा के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन कौशल कमी विश्लेषण और स्थानीय अवसरों के मानचित्रण के आधार पर किया जाता है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के कौशल शिक्षा घटक के तहत कक्षा VI से VIII के विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा प्रदान करने तथा कक्षा IX से XII तक कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं। माध्यमिक स्तर पर अर्थात कक्षा IX और X, छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल मॉड्यूल की सुविधा प्रदान की जाती है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, अर्थात कक्षा XI और XII पर, कौशल पाठ्यक्रम अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक कक्षा 9 से कक्षा 12 के स्कूल छात्रों को 138 जॉब रोल्स (जेआर)/कौशल विषयों को संचालित की पेशकश करने की मंजूरी दी गई है। जेआर के पाठ्यक्रम में रोजगार कौशल मॉड्यूल को शामिल किया गया है जिसमें

संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कौशल पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया है, जिसे वर्ष 2020-21 से आठवीं कक्षा में उपलब्ध कराया गया था तथा वर्ष 2024-25 सत्र से कक्षा VI और VII सहित कक्षा XI तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा उपलब्ध कराए गए कौशल मॉड्यूल के रूप में विस्तारित किया गया था। केविसं ने वर्ष 2022-23 से कक्षा छठी से आठवीं के छात्रों के लिए मजेदार पाठ्यक्रम के रूप में पूर्व-व्यावसायिक कौशल जैसे बढ़ईगीरी, मिट्टी के बर्तन, बिजली के काम आदि को भी अपनाया गया है और सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक कौशल विषयों को लागू कर रहा है। वर्ष 2023-24 में, स्कूलों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत इन-स्कूल/आउट ऑफ स्कूल युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 350 केंद्रीय विद्यालय पहले ही शामिल किए जा चुके हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की ज्ञान अर्थव्यवस्था की मांगों के लिए तैयार करना है। इसमें अब तक, 10249 उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है और पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

सरकार ने एकल व्यवस्था राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था (एनसीआरएफ) तैयार की है, जो स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और कौशल शिक्षा जैसे इसके सभी आयामों में अध्ययन के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को समेकित रूप से एकीकृत करने के लिए है। यह व्यवस्था सामान्य शिक्षा और कौशल शिक्षा के बीच समानता और गतिशीलता स्थापित करने में सक्षम बनाता है ताकि आजीवन सीखने, पूर्व शिक्षा की मान्यता, एकाधिक प्रवेश और निर्गमन, और निरंतर व्यावसायिक विकास को प्रणाली में प्रोत्साहित किया जा सके। छात्र कौशल शिक्षा प्रशिक्षण के लिए क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, जिससे उन्हें बैचलर इन वोकेशन (बी वोक) कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल और सामान्य शिक्षा के बीच परिवर्तन की अनुमति मिलती है। एनसीआरएफ़ कौशल और औपचारिक शिक्षा को एकीकृत करता है, जिससे छात्रों को कौशल-आधारित शिक्षा के लिए अकादमिक क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति मिलती है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्रों में कौशल आधारित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। उद्योगों, स्टार्ट-अप और अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी, विशेष रूप से कौशल विश्वविद्यालयों द्वारा, छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्या-समाधान में संलग्न करने में सक्षम बनाती है।

(ख): छात्रों की डिजिटल तत्परता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, ई-लर्निंग सामग्री और मूल्यांकन प्रणालियों की सहायता करने वाला एक व्यापक ढांचा है, को लागू किया जा रहा है। कौशल विकास के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक टीवी चैनल प्लेटफार्मों जैसे ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा), स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं), और शिक्षकों और छात्रों के लिए एनडीईएआर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्कूल

प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) शिक्षकों को कक्षाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिये डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करती है।

कौशल आधारित शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज अत्याधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं। वे प्रौद्योगिकी-संचालित सीखने को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव स्मार्टबोर्ड, एआई-आधारित शिक्षण उपकरण और वर्चुअल लैब से लैस हैं। उदाहरण के लिए, 3095 जवाहर नवोदय विद्यालयों (जनवि) को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा, केविसं ने स्कूलों में छात्रों की तकनीकी तत्परता बढ़ाने के लिए स्मार्ट कक्षाएं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाओं, भाषा प्रयोगशालाओं, अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और डिजिटल संसाधनों को भी एकीकृत किया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

(ग): भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर अंतर विषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये पहल छात्रों को कई विषयों को एकीकृत करने, रचनात्मकता, नवाचार और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) अब कई प्रवेश-निकास विकल्पों और अंतर विषयक अनुसंधान पर जोर देने के साथ लचीले स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) छात्रों को अंतर विषयक गतिशीलता का समर्थन करते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों और संस्थानों में क्रेडिट जमा करने और स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।

विश्वविद्यालयों को अब विज्ञान, कला, मानविकी और व्यावसायिक विषयों को एकीकृत करने वाले पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने वाले बहु-विषयक संस्थान बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फैलोशिप जैसे कार्यक्रम छात्रों को एसटीईएम, सामाजिक विज्ञान और मानविकी अनुसंधान पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संस्थानों को एआई, स्थिरता और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित अनुसंधान केंद्रों का निर्माण करते हुए विषयों में सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) छात्रों को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पर दिशानिर्देशों के अनुरूप दूरस्थ रूप से अंतर विषयक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है। ये दिशा-निर्देश https://deb.ugc.ac.in/Home/Regulations?Year=2020 पर उपलब्ध हैं।

*****